प्रेस नोट

थाना खेकडा दिनाँक 01.11.2026

थाना खेकडा पुलिस ने थाने पर पंजीकृत मु0अ0सं0 388/24 धारा 305/324(4)/ 351(2)/331(4) बीएनएस व मु0अ0सं0 202/25 धारा 305 बीएनएस में वांछित 50,000 रुपये के इनामिया एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

1-दिनांक 11.11.2024 को थाना खेकड़ा पर वादी श्री प्रवीण धामा पुत्र श्री जय सिंह धामा निवासी एनबीसीसी टाउन कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.शोभित, 2. प्रवीण 3. 01 अज्ञात द्वारा उसके घर से 01 लाख 30 हजार रूपये व सोने की चैन सोने का लोकेट सोने की अंगुठी 02 जोडी कान के झुमके 01 सोने का गले का हार 03 जोडी चांदी की पायजेब 03 चांदी के सिक्के 50 ग्राम 02 सिक्के सोने के 10 ग्राम के व पडौसी अशोक व सचिन आदि के घर से भी चोरी की व तोड़-फोड़ व जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 388/24 धारा 305/324(2)/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

2-दिनांक 28.06.2025 को थाना खेकड़ा पर वादी लोकेश पुत्र प्रीतम सिंह निवासी ग्राम गोठरा थाना खेकडा जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात चोरों द्वारा वादी के घर से 07 तोले सोना व 13 हजार रूपये नगद चुरा लिए गए। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 202/25 धारा 305 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

1-मु0अ0सं0 388/24 की विवेचना के दौरान धारा 324(2) बीएनएस का विलोप तथा धारा 324(4)/331(4) बीएनएस की वृद्धि की गयी तथा शोभित व प्रवीण की नामजदगी गलत की गई तथा अभियुक्त 1.विक्रम पुत्र श्यामलाल निवासी आजादनगर भरतपुर राजस्थान 2.संजय पुत्र इन्द्रपाल निवासी बन्थला थाना लोनी जनपद

गाजियाबाद 3.धर्मेन्द्र पुत्र इन्द्रपाल निवासी बन्थला लोनी गाजियाबाद के नाम प्रकाश में आये।

2-मु0अ0सं0 202/25 की विवेचना के दौरान में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि तथा अभियुक्त 1.विक्रम पुत्र श्यामलाल निवासी आजादनगर भरतपुर राजस्थान 2.संजय पुत्र इन्द्रपाल 3.धर्मेन्द्र पुत्र इन्द्रपाल 4.छोटू पुत्र श्रीराम निवासी बन्थला थाना लोनी गाजियाबाद 5.मोदी उर्फ गंजा के नाम प्रकाश में आये।

अभियुक्त विक्रम व मोदी को थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा धर्मेन्द्र गाजियाबाद पुलिस से मुठभेड में मारा जा चुका है। छोटू को गिरफ्तार कर जेल भेजा चुका है तथा मोदी उर्फ गांजा को डासना जेल से बी वारण्ट पर तलब कर लिया गया है।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित/इनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाना खेकड़ा के मु0अ0सं0 388/24 धारा 305/324(4)/351(2)/331(4) बीएनएस व मु0अ0सं0 202/25 धारा 305 बीएनएस में वांछित 50,000 रुपये के इनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त के नाम व पता-

संजय उर्फ अजय पुत्र इन्द्रपाल निवासी आदेश नगर कस्बा व थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।
स्थाई पता बांस मढैय्या थाना गढ मुक्तेश्वर जनपद हापुड।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

1-मु0अ0सं0 343/23 धारा 380/411/457 भादवि थाना मंसूरी जनपद गाजियाबाद।
2-मु0अ0सं0 0009/26 धारा 305(A) बीएनएस थाना पिलखुवा जनपद हापुड़

3-मु0अ0सं0 314/25 धारा 305(A)/317(2)/331(4) बीएनएस थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद।
4-मु0अ0सं0 16/26 धारा 305(A) बीएनएस थाना पिलखुवा जनपद हापुड़ ।
5-मु0अ0सं0 258/17 धारा 302/307 भादवि थाना मंसूरपुर जनपद मुजफ्फरनगर।
6-मु0अ0सं0 314/25 धारा 305(A)/317(2)/331(4) बीएनएस थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद।

7-मु0अ0सं0 08/26 धारा 305(A)/317(2) बीएनएस थाना हाफिजपुर जनपद हापुड़ ।
8-मु0अ0सं0 42/26 धारा 305/317(2) बीएनएस थाना हाफिजपुर जनपद हापुड़ ।
9-मु0अ0सं0 141/17 धारा 380/411/457 भादवि थाना आदर्श मंडी जनपद शामली ।
10-मु0अ0सं0 294/17 धारा 380/411 भादवि थाना कांधला जनपद शामली ।
11-मु0अ0सं0 347/17 धारा 380/411/457 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।
12-मु0अ0सं0 366/17 धारा 380/411 भादवि थाना कांधला जनपद शामली ।
13-मु0अ0सं0 441/17 धारा 380/411/457 भादवि थाना झींझाना जनपद शामली।
14-मु0अ0सं0 296/17 धारा 380/457 भादवि थाना थानाभवन जनपद शामली ।
15-मु0अ0सं0 353/17 धारा 395/397/412 भादवि थाना थानाभवन जनपद शामली।
16-मु0अ0सं0 198/17 धारा 147/148/149/307 भादवि थाना बाबरी जनपद शामली।
17-मु0अ0सं0 199/17 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना बाबरी जनपद शामली ।
18-मु0अ0सं0 69/17 धारा 382 भादवि थाना गढ़ीपुख्ता जनपद शामली ।
19-मु0अ0सं0 81/17 धारा 380/457 भादवि थाना गढ़ीपुख्ता जनपद शामली ।
20-मु0अ0सं0 96/17 धारा 380/411/457 भादवि थाना गढ़ीपुख्ता जनपद शामली।
21-मु0अ0सं0 197/17 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना गढ़ीपुख्ता जनपद शामली।
22-मु0अ0सं0 56/26 धारा 305ए/331(4) बीएनएस थाना बिनौली जनपद बागपत।
23-मु0अ0सं0 64/26 धारा 305ए/331(4) बीएनएस थाना बिनौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
1-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।

2-है0का0 938 मनीष कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।
3-है0का0 611 सतीश कपासिया थाना खेकडा जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत दिनाँक 01.11.2026

थाना बडौत पुलिस ने थाने पर पंजीकृत मु0अ0सं0 758/2026 धारा



191(2)/191(3)/190/333/131/115(2)/352/109(1)/351(3) बी.एन.एस से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को घायलावस्था में किया गिरफ्तार, गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 04 जिंदा एवं 02 खोखा कारतूस बरामद।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 31.10.2026 को थाना बड़ौत पर वादी तेजू पुत्र हुक्मी निवासी ग्राम हटाना, थाना बड़ौत, जनपद बागपत द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण 1. दिनेश उर्फ छोटू पुत्र आजाद, 2. मेनपाल पुत्र आजाद, 3. बंटी पुत्र बली, 4. टिंकू पुत्र सीताराम, 5. अमित पुत्र चरना, 6. आजाद पुत्र नगीना, 7. बली पुत्र नगीना, 8. राजू पुत्र बदला, 9. राजन पुत्र सीताराम, 10. अंकित पुत्र गिराज, 11. मनु पुत्र प्रकाश, 12. राजीव उर्फ काला पुत्र अतरा, 13. चरना पुत्र जलाल, समस्त निवासी ग्राम खेड़ा

इस्लामपुर, थाना बड़ौत, जनपद बागपत एवं कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एकराय होकर धारदार हथियारों एवं घातक आयुधों से लैस होकर वादी के घर में घुसकर गाली-गलौच करते हुए मारपीट की गई। उक्त मारपीट में बिहारी पुत्र धुमी, बिल्लू पुत्र फूल सिंह एवं सोनू पुत्र लख्मी सहित कुल 07 व्यक्ति घायल हो गए, जिनमें 02 महिलाएं एवं 01 युवती शामिल हैं। आरोप है कि अभियुक्तों द्वारा जान से मारने की नीयत से फायरिंग भी की गई, जिसमें राजकुमार उर्फ काला पुत्र हुक्मी, हरवीर पुत्र रामपाल एवं विक्रम पुत्र चन्द्र को गोली लगने से चोटें आईं। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 758/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/333/131/115(2)/352/109(1)/351(3) बी.एन.एस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 31.10.2026 को थाना बड़ौत पुलिस मु0अ0सं0 758/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/333/131/115(2)/352/109(1)/351(3) बीएनएस से संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयासरत थी। इसी क्रम में थाना बड़ौत पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति ग्राम लुहारी के जंगल में एक ट्यूबवेल पर बैठे हैं, जिन्होंने दिनांक 31.10.2026 को सुल्तानपुर हटाना में अवैध तमंचों से फायरिंग की थी। घटना के बाद दोनों व्यक्ति ग्राम लुहारी के जंगल में छिपे हुए हैं। सूचना पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची तथा ट्यूबवेल की चारों तरफ से घेराबंदी की गई। पुलिस टीम के आने की आहट पाकर दोनों व्यक्ति जंगल की ओर भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा उन्हें रुकने एवं आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी गई, लेकिन अभियुक्तों ने चेतावनी को अनसुना करते हुए पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस टीम द्वारा साहस एवं सूझबूझ का परिचय देते हुए आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्रवाई में दोनों अभियुक्त घायल हो गए।

पुलिस टीम द्वारा घायल अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उपचार हेतु सीएचसी बडौत भेजा गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 04 जिंदा एवं 02 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1.दिनेश उर्फ छोटू पुत्र आजाद निवासी खेडा इस्लामपुर थाना बडौत जनपद बागपत ।

2. मनवीर उर्फ मन्नु पुत्र प्रकाश निवासी खेडा इस्लामपुर थाना बडौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 04 जिंदा एवं 02 खोखा कारतूस

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्तगणों ने बताया कि वादी पक्ष के ट्रैक्टर का पहिया अभियुक्त दिनेश उर्फ छोटू पुत्र आजाद के पैर पर लग गया था, जिसको लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी, गाली-गलौच एवं मारपीट हुई तथा बाद में फायरिंग की घटना घटित हो गई। अभियुक्तगणों ने बताया कि इससे पूर्व दोनों पक्षों के बीच कोई विवाद नहीं था।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1-व0उ0नि0 श्री प्रियवृत्त आर्य थाना बडौत, जनपद बागपत।
2-उ0नि0 श्री विकास चौहान थाना बड़ौत, जनपद बागपत।
3-उ0नि0 श्री संदीप कुमार थाना बड़ौत, जनपद बागपत।
4-उ0नि0 श्री राजकुमार थाना बड़ौत, जनपद बागपत।
5-है0का0 422 राजन सिंह थाना बडौत, जनपद बागपत।
6-है0का0 738 अरुण कुमार थाना बडौत, जनपद बागपत।
7-का0 418 परमजीत सिंह थाना बडौत, जनपद बागपत।
8-का0 406 रविन्द्र भाटी थाना बडौत, जनपद बागपत।
9-का0 666 रघुवीर सिंह थाना बडौत, जनपद बागपत।
10.का0 301 मुलायम सिंह थाना बडौत, जनपद बागपत।
11.का0 399 राहुल चौहान थाना बडौत, जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत दिनाँक 01.11.2026

थाना बडौत पुलिस ने थाने पर पंजीकृत मु0अ0सं0 726/26 धारा 137(2)/87/351(2)/65(1) बीएनएस व 3/4 (2) पोस्को अधिनियम व 3/5 उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम में वांछित 10 हजार रुपये के इनामिया 01 अभियुक्त को घायल अवस्था में किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा एवं 01 खोखा कारतूस बरामद।



कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 01.11.2026 को थाना बड़ौत पुलिस टीम द्वारा थाने के मु0अ0सं0 726/26 धारा 137(2)/87/351(2)/65(1) बीएनएस एवं 3/4(2) पॉक्सो अधिनियम तथा 3/5 उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम में वांछित 10 हजार रुपये के इनामिया अभियुक्त समीर को आवश्यक बल प्रयोग कर घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर, 01 जिंदा कारतूस एवं 01 खोखा कारतूस बरामद हुआ है।

उक्त प्रकरण में पीड़िता को पुलिस द्वारा पूर्व में ही बरामद किया जा चुका है तथा पीड़िता के न्यायालय में बयान भी दर्ज कराए जा चुके हैं। इस मामले में हिंदू संगठनों ने आंदोलन की चेतावनी भी दी थी, प्रकरण की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को देखते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा ₹10,000/- का पुरस्कार घोषित किया गया था। अभियुक्त मूल रूप से दिल्ली का निवासी है तथा सोशल मीडिया पर अमन मलिक नाम से आईडी संचालित करता है। अभियुक्त बड़ौत स्थित अपनी बुआ के घर आता-जाता था,

इसी दौरान उसने पीड़िता को अपने प्रभाव में लेकर उसका अपहरण किया था। उक्त प्रकरण में अभियुक्त की बुआ को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

समीर पुत्र खुर्शेद निवासी नई बस्ती थाना बडौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस एवं 01 खोखा कारतूस।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री निकलेश रस्तोगी थाना बडौत, जनपद बागपत।
2-उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना बड़ौत, जनपद बागपत।
3-है0का0 813 प्रदीप कुमार थाना बड़ौत, जनपद बागपत।
4-है0का0 542 अशोक कुमार थाना बड़ौत, जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

यातायात माह **दिनाँक 01.11.2026**

यातायात माह नवम्बर-2026 का शुभारम्भ, जनपदभर में 30 दिनों तक चलेंगे विशेष जागरूकता एवं प्रवर्तन अभियान, यातायात पुलिस के अतिरिक्त 56 उपनिरीक्षक संभालेंगे यातायात प्रबंधन की कमान, सड़क दुर्घटनाओं में जनहानि रोकना एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना अभियान का मुख्य उद्देश्य।

आज दिनांक 01 नवम्बर 2026 से यातायात माह नवम्बर-2026 का शुभारम्भ किया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में आगामी 30 दिनों तक जनपदभर में प्रतिदिन निर्धारित विषयों एवं विभिन्न जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से आमजन को यातायात नियमों एवं सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा।

👮 यातायात पुलिस के अतिरिक्त श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा विशेष रूप से 56 उपनिरीक्षकों की नियुक्ति की गई है, जो जनपद के गांव-गांव, गली-गली एवं कस्बों तक पहुंचकर आमजन को यातायात

नियमों के प्रति जागरूक करेंगे। इस पहल के माध्यम से यातायात जागरूकता अभियान को जनपदभर में व्यापक स्तर पर संचालित किया जाएगा।

🛑 अभियान के दौरान हेलमेट एवं सीट बेल्ट का प्रयोग करने, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने, नशे की हालत में वाहन न चलाने तथा यातायात संकेतों एवं नियमों का पालन करने के प्रति विशेष रूप से जागरूक किया जाएगा।

📢 बागपत पुलिस की अपील है कि यातायात नियमों का पालन केवल चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि अपने और अपनों के जीवन की सुरक्षा के लिए करें। स्वयं जागरूक बनें और दूसरों को भी यातायात नियमों के पालन के लिए प्रेरित करें।

🚦 यातायात नियम अपनाएं, जीवन सुरक्षित बनाएं।

🙏 सुरक्षित चलें – सुरक्षित रहें।

🗓️ दिनवार जागरूकता एवं प्रवर्तन कार्यक्रम

तिथि	प्रवर्तन कार्यवाही (Enforcement)	जागरूकता एवं शिक्षा कार्यक्रम (Education)
01 नवंबर	काली फिल्म व बिना सीट बेल्ट की सघन चेकिंग, मुख्य चौराहों पर बिना हेलमेट चालान।	बाइक जागरूकता रैली (कोर्ट रोड से महिला थाना); पुलिसकर्मियों को सड़क सुरक्षा शपथ; टेम्पो व रिक्शा चालकों को जागरूक करना।
02 नवंबर	दोपहिया पर तीन सवारी व बिना हेलमेट पर चालान; मॉडिफाइड साइलेंसर/प्रेशर हॉर्न उतरवाना।	विद्यालयों में सड़क सुरक्षा अभियान का प्रारंभ; बस व टेम्पो चालकों को लेन ड्राइविंग के प्रति जागरूक करना।
03 नवंबर	हाईवे/ढाबों पर चेकिंग; चलते समय मोबाइल प्रयोग व मॉडिफाइड साइलेंसर पर कार्रवाई।	ट्रक व भारी वाहनों की संगोष्ठी; निःशुल्क रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप लगाना; रात में डीपर प्रयोग की जानकारी।
04 नवंबर	बिना हेलमेट ई-चालान; ब्रेथ एनालाइजर से शराबियों की चेकिंग; काली फिल्म पर कार्रवाई।	स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से पुलिसकर्मियों का नेत्र व बीपी परीक्षण; स्कूलों में निबंध, चित्रकला प्रतियोगिता व नुक्कड़ नाटक।
05-06 नवंबर	अवयस्क चालकों पर चालान; ऑटो/ई-रिक्शा में ओवरलोडिंग व रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर कार्रवाई।	भैंसा-बुग्गी, ट्रैक्टर-ट्रॉली पर निःशुल्क रिफ्लेक्टिव टेप; पुलिसकर्मियों को फर्स्ट-एड प्रशिक्षण; 'राह वीर' योजना का प्रचार।
07 नवंबर	नो-पार्किंग में खड़े वाहनों पर टो-अवे कार्रवाई; बिना HSRP व जातिसूचक शब्द लिखे वाहनों पर चालान।	NCC/NSS कैडेट्स का प्रशिक्षण व उनके द्वारा सड़क सुरक्षा का प्रचार; परेड के दौरान पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण।
08 नवंबर	बिना हेलमेट/तीन सवारी, मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कार्रवाई।	शहरी व ग्रामीण स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम; बस-टैक्सी चालकों के साथ बैठक व नेत्र परीक्षण।
09-10 नवंबर	अवयस्क चालकों, बिना बीमा, रॉन्ग साइड और मोबाइल प्रयोग करने वालों पर सख्त कार्रवाई।	ऑटो/ई-रिक्शा यूनियनों व ट्रांसपोर्टर्स के साथ गोष्ठी; नुक्कड़ नाटक और सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार।

11-12 नवंबर	ई-चालान, हूटर/सायरन व काली फिल्म पर कार्रवाई; बिना लाइसेंस/बीमा चालकों की चेकिंग।	स्कूलों में सड़क सुरक्षा विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता; उत्कृष्ट छात्रों का प्रोत्साहन; NCC/NSS का प्रशिक्षण।
13-15 नवंबर	PUC व तीन सवारी की चेकिंग; मॉडिफाइड साइलेंसर व प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर चालान।	नगर पालिका व PWD के सहयोग से सड़क के गड्ढे भरवाना व ब्लैक स्पॉट सुधार; बाल दिवस पर रैली व जागरूकता।
16-18 नवंबर	बिना हेलमेट, बिना लाइसेंस व काली फिल्म वाले वाहनों पर चालान व शमन कार्रवाई।	ऑटो/टैक्सी चालकों को हेडलाइट (हाई/लो-बीम) का सही उपयोग सिखाना; अंधे मार्गों पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था व स्टैंडों पर जाकर जानकारी देना।
19-21 नवंबर	वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाना; बिना बीमा/लाइसेंस व तीन सवारी की चेकिंग।	पैदल यात्रियों को जेब्रा क्रॉसिंग व सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना; स्कूलों में निबंध प्रतियोगिता।
22-24 नवंबर	मोबाइल प्रयोग, बिना हेलमेट, काली फिल्म व ड्रिंक एंड ड्राइव पर सख्त चालान।	दुर्घटना पीड़ितों को गोल्डन आवर में चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु प्रोत्साहन; विद्यार्थियों के माध्यम से अभिभावकों को प्रेरित करना।
25-27 नवंबर	ओवर-स्पीडिंग, स्टंट बाइकिंग, बिना हेलमेट और तीन सवारी पर चालानी कार्रवाई।	युवाओं के साथ सड़क सुरक्षा संवाद; ओवर-स्पीडिंग से दूर रहने की शपथ; पुलिसकर्मियों व चालकों हेतु नेत्र व बीपी परीक्षण शिविर।
28-30 नवंबर	माह के अंतिम दिनों में संपूर्ण जनपद में सघन चेकिंग, बिना सीट बेल्ट व ड्रिंक एंड ड्राइव पर सख्त कार्रवाई।	रोडवेज व कमर्शियल चालकों को सुरक्षित ड्राइविंग टिप्स; उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों व 'राह वीरों' को सम्मानित करने की तैयारी व समापन समारोह।
तिथि	प्रवर्तन कार्रवाई (Enforcement)	जागरूकता एवं शिक्षा कार्यक्रम (Education)
01 नवंबर	काली फिल्म व बिना सीट बेल्ट की सघन चेकिंग, मुख्य चौराहों पर बिना हेलमेट चालान।	बाइक जागरूकता रैली (कोर्ट रोड से महिला थाना); पुलिसकर्मियों को सड़क सुरक्षा शपथ; टेम्पो व रिक्शा चालकों को जागरूक करना।
02 नवंबर	दोपहिया पर तीन सवारी व बिना हेलमेट पर चालान; मॉडिफाइड साइलेंसर/प्रेशर हॉर्न उतरवाना।	विद्यालयों में सड़क सुरक्षा अभियान का प्रारंभ; बस व टेम्पो चालकों को लेन ड्राइविंग के प्रति जागरूक करना।
03 नवंबर	हाईवे/ढाबों पर चेकिंग; चलते समय मोबाइल प्रयोग व मॉडिफाइड साइलेंसर पर कार्रवाई।	ट्रक व भारी वाहनों की संगोष्ठी; निःशुल्क रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप लगाना; रात में डीपर प्रयोग की जानकारी।
04 नवंबर	बिना हेलमेट ई-चालान; ब्रेथ एनालाइजर से शराबियों की चेकिंग; काली फिल्म पर कार्रवाई।	स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से पुलिसकर्मियों का नेत्र व बीपी परीक्षण; स्कूलों में निबंध, चित्रकला प्रतियोगिता व नुक्कड़ नाटक।
05-06 नवंबर	अवयस्क चालकों पर चालान; ऑटो/ई-रिक्शा में ओवरलोडिंग व रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर कार्रवाई।	भैंसा-बुग्गी, ट्रैक्टर-ट्रॉली पर निःशुल्क रिफ्लेक्टिव टेप; पुलिसकर्मियों को फर्स्ट-एड प्रशिक्षण; 'राह वीर' योजना का प्रचार।
07 नवंबर	नो-पार्किंग में खड़े वाहनों पर टो-अवे कार्रवाई; बिना HSRP व जातिसूचक शब्द लिखे वाहनों पर चालान।	NCC/NSS कैडेट्स का प्रशिक्षण व उनके द्वारा सड़क सुरक्षा का प्रचार; परेड के दौरान पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण।

08 नवंबर	बिना हेलमेट/तीन सवारी, मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कार्रवाई।	शहरी व ग्रामीण स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम; बस-टैक्सी चालकों के साथ बैठक व नेत्र परीक्षण।
09-10 नवंबर	अवयस्क चालकों, बिना बीमा, रॉन्ग साइड और मोबाइल प्रयोग करने वालों पर सख्त कार्रवाई।	ऑटो/ई-रिक्शा यूनियनों व ट्रांसपोर्टर्स के साथ गोष्ठी; नुक्कड़ नाटक और सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार।
11-12 नवंबर	ई-चालान, हूटर/सायरन व काली फिल्म पर कार्रवाई; बिना लाइसेंस/बीमा चालकों की चेकिंग।	स्कूलों में सड़क सुरक्षा विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता; उत्कृष्ट छात्रों का प्रोत्साहन; NCC/NSS का प्रशिक्षण।
13-15 नवंबर	PUC व तीन सवारी की चेकिंग; मॉडिफाइड साइलेंसर व प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर चालान।	नगर पालिका व PWD के सहयोग से सड़क के गड्ढे भरवाना व ब्लैक स्पॉट सुधार; बाल दिवस पर रैली व जागरूकता।
16-18 नवंबर	बिना हेलमेट, बिना लाइसेंस व काली फिल्म वाले वाहनों पर चालान व शमन कार्रवाई।	ऑटो/टैक्सी चालकों को हेडलाइट (हाई/लो-बीम) का सही उपयोग सिखाना; अंधे मार्गों पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था व स्टैंडों पर जाकर जानकारी देना।
19-21 नवंबर	वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाना; बिना बीमा/लाइसेंस व तीन सवारी की चेकिंग।	पैदल यात्रियों को जेब्रा क्रॉसिंग व सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना; स्कूलों में निबंध प्रतियोगिता।
22-24 नवंबर	मोबाइल प्रयोग, बिना हेलमेट, काली फिल्म व ड्रिंक एंड ड्राइव पर सख्त चालान।	दुर्घटना पीड़ितों को गोल्डन आवर में चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु प्रोत्साहन; विद्यार्थियों के माध्यम से अभिभावकों को प्रेरित करना।
25-27 नवंबर	ओवर-स्पीडिंग, स्टंट बाइकिंग, बिना हेलमेट और तीन सवारी पर चालानी कार्रवाई।	युवाओं के साथ सड़क सुरक्षा संवाद; ओवर-स्पीडिंग से दूर रहने की शपथ; पुलिसकर्मियों व चालकों हेतु नेत्र व बीपी परीक्षण शिविर।
28-30 नवंबर	माह के अंतिम दिनों में संपूर्ण जनपद में सघन चेकिंग, बिना सीट बेल्ट व ड्रिंक एंड ड्राइव पर सख्त कार्रवाई।	रोडवेज व कमर्शियल चालकों को सुरक्षित ड्राइविंग टिप्स; उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों व 'राह वीरों' को सम्मानित करने की तैयारी व समापन समारोह।

BAGHPAT POLICE

थाना बड़ौत

दिनांक 01-11-2026

थाना बड़ौत पुलिस ने 01 अवैध पटाखा तस्कर को किया गिरफ्तार।



अवगत कराना है कि जनपद में आगामी दीपावली पर्व के दौरान अवैध पटाखों के भंडारण व व्यापार की रोकथाम चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बड़ौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त शेखर पुत्र रामधन निवासी गुराना रोड गली नं0 8 के सामने कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 06 पेटी अवैध पटाखे वजन करीब 100 किलो बरामद।

baghpatpolice

BAGHPAT POLICE

थाना बड़ौत

दिनांक 01-11-2026

थाना बड़ौत पुलिस ने वांछित 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।



जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना बड़ौत पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 758/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/333/131/115(2)/352/351(3)/109(1) बीएनएस में वांछित 03 अभियुक्तों 1. राजीव पुत्र अतर सिंह, 2. आजाद पुत्र नगीना एवं 3. राजन पुत्र सीताराम, निवासीगण ग्राम खेड़ा इस्लामपुर, थाना बड़ौत, जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 डण्डा एवं 01 बोलेरो गाड़ी बरामद की गई है।

baghpatpolice